भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4104

जिसका उत्तर गुरुवार, 07 अप्रैल, 2022 को दिया जाना है

न्यायालय परिसरों में अवसंरचना

4104 श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 26 प्रतिशत न्यायालय परिसरों में महिलाओं के लिए अलग से शौचालय नहीं हैं और 16 प्रतिशत में पुरुषों के लिए शौचालय नहीं हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि मात्र 68 प्रतिशत न्यायालयों में ही पृथक-पृथक अभिलेखागार हैं और 50 प्रतिशत में पुस्तकालय मौजूद नहीं हैं ;

(ग) क्या मात्र 5 प्रतिशत न्यायालय परिसरों में चिकित्सा सुविधाएं मौजूद हैं और मात्र 27 प्रतिशत न्यायालय कक्षों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के लिए न्यायाधीशों के मंच पर कम्प्यूटर संस्थापित किया गया है ;

(घ) इन समस्याओं के समाधान के लिए बनाई गई योजना का ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या सरकार इन समस्याओं और अन्य मुद्दों के समाधान के लिए न्यायपालिका को वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करने पर विचार कर रही है ; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (च) : भारत के उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री ने न्यायिक अवसंरचना और न्यायालय सुविधाओं की स्थिति पर डाटा संकलित किया है, जिसके अनुसार 26% न्यायालय परिसरों में महिलाओं के लिए अलग शौचालय नहीं है और पुरुषों के लिए16% में शौचालय नहीं है, 32% न्यायालय कक्ष में अलग रिकॉर्ड कक्ष हैं और 49% में पुस्तकालय नहीं है और केवल 5% न्यायालय परिसर में चिकित्सा सुविधाएं हैं और 27% न्यायालय कक्ष में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए न्यायाधीश के मंच पर

कंप्यूटर रखा गया है। न्यायालयों के लिए पर्याप्त अवसंरचना की व्यवस्था के लिए भारतीय राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण (एनजेआईएआई) की स्थापना करने हेतु भारत के मुख्य न्यायामूर्ति से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसके अनुसार अध्यक्ष सह संरक्षक के रूप में भारत का मुख्य न्यायाधीश एक शासी निकाय होगा। प्रस्ताव की अन्य मुख्य विशेषताएं यह हैं कि भारतीय राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण सभी उच्च न्यायालयों के अधीन समान संरचनाओं के अतिरिक्त, भारतीय न्यायालय प्रणाली के लिए कार्यात्मक अवसंरचना की योजना, निर्माण, विकास, रखरखाव और प्रबंधन के लिए रोड मैप तैयार करने में एक केंद्रीय निकाय के रूप में कार्य करेगा। प्रस्ताव विभिन्न राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों को भेजा गया है, क्योंकि इस मामले पर विचार करने के लिए प्रस्ताव की रूपरेखा पर उनके विचारों के लिए वे एक महत्वपूर्ण पणधारी हैं।

न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। राज्य सरकारों के संसाधनों की अभिवृद्धि के लिए, संघ सरकार विहित निधि साझा पैटर्न में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करके जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम को क्रियान्यवित किया है। यह स्कीम 1993-94 से क्रियान्वित की जा रही है। अब तक केंद्रीय सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्कीम के अधीन 9,009 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं जिसमें से 2014-15 से अब तक 5565 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं जो इस स्कीम के अधीन कुल जारी किए जाने का लगभग 61.77% फीसदी है। इस स्कीम के अधीन, केंद्रीय सरकार द्वारा जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों के लिए न्यायालय भवनों और आवासीय आवास के निर्माण के लिए निधियाँ जारी की जाती है। इस स्कीम को समय-समय पर बढ़ाया गया है। इस स्कीम को पहले 3,320 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ 3 वर्ष के लिए 2017 में 01.04.2017 से 31.03.2020 तक बढ़ाया गया था। इस स्कीम को फिर से एक वर्ष के लिए अर्थात 31.03.2021 तक बढ़ा दिया गया था। इस स्कीम का मूल्यांकन नीति आयोग द्वारा किया गया था जिसने इसे जारी रखने की सिफारिश की थी। सरकार ने कुल 9000 करोड़ रुपए बजटीय परिव्यय के साथ 01.04.2021 से 31.03.2026 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए इस सीएसएस को जारी रखने की मंजूरी दी है, जिसमें 5307 करोड़ रुपए का केंद्रीय हिस्सा सम्मिलित है। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायालय हॉल और आवासीय इकाइयों के अतिरिक्त

शौचालयों, डिजिटल कंप्यूटर कक्षों और वकीलों के हॉल के निर्माण को भी कवर करने के लिए स्कीम के घटकों का विस्तार किया गया है।

उपरोक्त स्कीम केवल जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के नागरिक अवसंरचना को पूरा करती है। सूचना प्रौद्योगिकी की आवश्यकताओं के संबंध में, भारत सरकार ने जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की सूचना और संचार सक्षमता के लिए पूरे देश में ई- न्यायालय मिशन मोड परियोजना को लागू किया। परियोजना के पहले चरण में कुल 935 करोड़ रुपए के परिव्यय में से सरकार ने 639.41 करोड़ रुपए का व्यय उपगत किया।सभी न्यायालय परिसरों को जिसके अंतर्गत तालुक स्तर के न्यायालय भी हैं, प्रत्येक को एक, वीडियो कांफ्रेसिंग उपस्कर उपलब्ध कराया गया है और 14,443 न्यायालय कक्षों के लिए अतिरिक्त वीडियो कांफ्रेसिंग उपस्कर के लिए अतिरिक्त निधियां भी मंजूर की गई हैं। 2506 वीडियो कांफ्रेसिंग केबिन स्थापित करने के लिए निधियां उपलब्ध की गई हैं। अतिरिक्त 1500 वीडियो कांफ्रेसिंग अनुज्ञप्तियां अर्जित की गई हैं। 3240 न्यायालय परिसरों और तत्स्थानी 1272 जेलों के मध्य पहले ही वीडियो कांफ्रेसिंग सुविधा समर्थित है।1732 दस्तावेज विजुअलाइजर्स के उपापन हेतु 7.6 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है ।

उच्च न्यायालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार तारीख 31.03.2022 तक जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में स्वीकृत 24,521 न्यायाधीशों तथा 19,341 न्यायाधीशों की कार्यरत पदसंख्या के लिए वर्तमान में 20,812 न्यायालय कक्ष (578 किराए के सहित) तथा 18,338 आवासीय इकाइयां उपलब्ध हैं। इसके अलावा, 2,767 न्यायालय हॉल और 1,651 आवासीय इकाइयां निर्माणाधीन हैं। अतः यह देखा जा सकता है कि वर्तमान में उपलब्ध न्यायालय कक्षों की संख्या वर्तमान कार्यबल से अधिक है, लेकिन न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत संख्या से कम है।

****